

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक- फरवरी, 2015

संख्या-3/सी.एस.एम.म.नि.-01/2015...../बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य मंत्री की सलाह से निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् का सदस्य नियुक्त करते हैं।

1.	श्री विजय कुमार चौधरी
2.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव
3.	श्री रमई राम
4.	श्री दामोदर रावत
5.	श्री नरेन्द्र नारायण यादव
6.	श्री प्रशांत कुमार शाही
7.	श्री श्याम रजक
8.	श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा
9.	श्रीमती लेशी सिंह
10.	श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
11.	श्री राजीव रंजन सिंह
12.	श्री श्रवण कुमार
13.	श्री राम लक्षण राम रमण
14.	श्री रामधनी सिंह
15.	श्री जय कुमार सिंह
16.	श्री मनोज कुमार सिंह
17.	श्री जावेद एकबाल अंसारी
18.	श्रीमती बीमा भारती
19.	श्रीमती रंजू गीता
20.	श्री वैद्यनाथ सहनी
21.	श्री नौशाद आलम
22.	श्री बिनोद प्रसाद यादव

2. इन्होंने आज दिनांक-22 फरवरी, 2015 के अपराह्न में अपना पद ग्रहण किया है तथा अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(अंजनी कुमार सिंह)  
मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी.एस.एम.म.नि.-01/2015...../दिनांक- फरवरी, 2015

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(बी० प्रधान)  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी.एस.एम.म.नि.-01/2015...../दिनांक- फरवरी, 2015  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(बी0 प्रधान)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी.एस.एम.म.नि.-01/2015...../दिनांक-

फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- सभी माननीय मंत्रीगण/सभी राज्य मंत्रीगण, बिहार/लोकायुक्त, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(बी0 प्रधान)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी.एस.एम.म.नि.-01/2015.....162...../दिनांक- 22 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रधान)

सरकार के प्रधान सचिव